



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275300
CG-DL-E-08082026-275300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4213]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4390(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44ए, सं. 54 [किमी 8.00 से किमी 380.00 आइजोल- तुइपांग खंड) और किमी 42.00 से किमी 164.00 (वैरेनाते- सैरांग खंड) को छोड़कर] और सं. 54बी, नया	

“17	रारा सं. 6 (बैरबी से ममित तक स्पर सहित) [किमी 0.00 से किमी 62.20 सेलिंग से दुल्टे खंड और किमी 62.200 से किमी 150.000 (दुल्टे से चम्फाई खंड) को छोड़कर], सं. 102बी [किमी. 246.00 से किमी. 124.00 (कवलकुल - तुइवाई खंड) को छोड़कर], 302[किमी. 0.00 से किमी. 115.00 (लुंगलेई- त्लाबुंग- कावरपुइचुआ खंड) को छोड़कर] और नया रारा-306ए के उतने भाग जो मिजोरम राज्य में अवस्थित हैं।	मिजोरम राज्य सरकार”।
-----	---	----------------------

[फा. सं. एनएच- 14013/21/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 4251 (अ), दिनांकित 31 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2026

S.O. 4390(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“17	So much of National Highways No.44A, No. 54 [excluding from km 8.00 to km 380.00 (Aizwal- Tuipang Section) and Km. 42.00 to Km. 164.00 (Vairengte- Sairang section)],No.54B, New NH No. 6 (including spur from Bairabi to Mamit) [excluding from Km. 0.00 to Km. 62.20 Seling to Dulte section and from Km. 62.200 to Km. 150.000 (Dulte to Champhai section)], No. 102B [excluding from Km. 246.00 to Km 124.00 (Kawlkulh – Tuivai section)],302[excluding from Km. 0.00 to Km. 115.00 (Lunglei- Tlabung- Kawrpuichhuah section)] and New NH-306A as are situated within the State of Mizoram.	State Government of Mizoram

[F. No. NH-14013/21/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 4251(E), dated the 31th July, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4391(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5106 (अ), दिनांकित 30 नवंबर, 2023 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम (1), (2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

502ए	ज़ोरिनपुई-हमावंगबू-लॉंगमासु ग्रीनफील्ड खंड (मिज़ोरम राज्य में)	31.17 किमी.
------	---	-------------

कॉलम संख्या (1), (2) और (3) में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा- :

502ए	मिज़ोरम राज्य में एनएच-2 पर लॉंगतलाई से शुरू होकर और म्यांमार सीमा (कलादान रोड) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग जिसमें मिज़ोरम राज्य में ज़ोरिनपुई के निकट इसके जंक्शन से शुरू होकर हमावंगबू को जोड़ने वाला और लॉंगमासु के निकट समाप्त होने वाला स्पर शामिल है।	मिज़ोरम राज्य में संपूर्ण रारा
------	--	--------------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/21/2026-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 5106 (अ), दिनांक 30 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2026

S.O. 4391(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5106(E), dated the 30th November, 2023, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

502A	Zorinpui-Hmawngbu-Longmasu Greenfield Section (In the State of Mizoram)	31.17 Km
------	--	----------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

502A	The highway starting from Lawngtlai on NH-2 and terminating at Mynamar Border (Kaladan Road) in the state of Mizoram including the spur starting from its junction near Zorinpui connecting Hmawngbu and terminating near Longmasu in the State of Mizoram.	Entire NH in the State of Mizoram
------	---	-----------------------------------

[F. No. NH-14013/21/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 5106(E), dated the 30th November 2023.